



भाकृअनुप- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून-248011
ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation,
Research Farm, Selakui, Dehradun-248011



फा. सं. 1120 / 5(5)/SCF/Store/FP/2022-23

दिनांक: 27.10.2022

मटर की खड़ी फसल का नीलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून में "मटर की फसल की जैसी है जहाँ है के आधार पर" खुली नीलामी (Open Auction) दिनांक: 16-11-2022 को प्रातः 11-00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय में संपन्न की जायेगी। नीलामी हेतु फसल का विवरण निम्न प्रकार से है :-

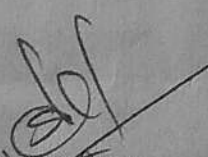
क्रम सं०	मटर की फसल का स्थल	क्षेत्रफल	नीलामी की अवधि	नीलामी हेतु पंजीकरण राशि का विवरण
1.	4%, फील्ड, SS&A Division.	1.2 है०	15 दिसम्बर 2022 तक	रु० 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र)
2.	सीबीटी फील्ड, H&E Division.	1.2 है०	15 दिसम्बर 2022 तक	रु० 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र)

नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

- मटर की फसल की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 16-11-2022 को प्रातः 10-30 बजे से 11-00 बजे तक अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात् नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। पंजीकरण कराते समय निम्नलिखित दस्तावेज इत्यादि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी :-
- मटर की फसल के लिए पंजीकरण नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो कि ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun के पक्ष में देय हो।
- बोलीदाता के आधार कार्ड की प्रतिलिपी।
- बोलीदाता के बैंक पासबुक के प्रथम पेज जिसमें उनकी फोटो/नाम आदि का विवरण हो की प्रतिलिपी।
- बोलीदाता के पेन कार्ड की प्रतिलिपी, यदि है।
- बोलीदाता के जी०एसी०टी० रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपी, यदि है तो।
2. फसल की नीलामी जैसी है जहाँ है के आधार पर की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात् फसल से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. इच्छुक बोलीदाता फसल का निरीक्षण नीलामी नोटिस जारी होने के पश्चात् किसी भी कार्यदिवस में 11.00 बजे से 4.00 बजे के बीच संबंधित क्षेत्र के तकनीकी अधिकारी की देख-रेख में कर सकते हैं।
4. एक ई०एम०डी० राशि के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
5. असफल बोलीदाता को ई०एम०डी० वापिस कर दी जायेगी।
6. अधिकतम बोलीदाता की पंजीकरण राशि को संस्थान के पास नीलामी ठेका प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य बोलीदाओं की पंजीकरण राशि को बोली प्रक्रिया के पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा।
7. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के अतिरिक्त कुल नीलामी राशि का 10 प्रतिशत राशि नीलामी ठेके की धरोहर राशि (सिक्क्योरिटी राशि) के रूप में उपरोक्तानुसार नीलामी राशि के साथ-साथ बोली के तुरन्त पश्चात् उसी दिन डिमांड ड्राफ्ट/पी०ओ०एस० मशीन अथवा NEFT/RTGS द्वारा संस्थान के खाते में जमा कराना होगा, यह राशि नीलामी ठेका अवधि पूर्ण होने के बाद आवंटित किये गये ठेके का संतोषप्रद संचालन किये जाने की स्थिति में 60 दिवस के पश्चात् ही संबंधित बोलीदाता को वापिस की जायेगी।

8. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की कुल राशि का 25% बोली के तुरन्त पश्चात् उसी दिन डिमांड ड्राफ्ट / पीओएस0 मशीन अथवा NEFT/RTGS द्वारा संस्थान के खाते में जमा कराना होगा तथा शेष 75% धनराशि नीलामी तिथि के तीन दिवस के भीतर संस्थान में अवश्य जमा करानी होगी। यह धनराशि तीन दिवस के भीतर जमा ना कराने की अवस्था में उनके पक्ष की नीलामी रद्द मान ली जायेगी तथा उनकी ईओएमडी0 राशि भी जब्त कर ली जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही उनके नाम नीलामी आदेश जारी किया जायेगा।
9. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा तथा नीलामी उनके पक्ष में की जायेगी।
10. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के पश्चात् फसल की देख-रेख, सुरक्षा, तुड़ाई, पैकिंग, अनुसंधान प्रक्षेत्र से ले जाने इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी। संस्थान द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
11. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की प्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक को जमा करानी होगी। वह फसल की तुड़ाई हेतु बाल मजदूर का उपयोग नहीं करेंगे।
12. सफल बोलीदाता द्वारा क्रम सं 7 में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् मटर की फलियों की तुड़ाई का अधिकार निदेशक, महोदय की स्वीकृति के पश्चात् उपरोक्त तालिका में दी गयी नीलामी अवधि तक ही होगा। उसके पश्चात् उनको या उनके कर्मचारियों को फसल तुड़ाई हेतु प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
13. सफल बोलीदाता द्वारा फसल की तुड़ाई इत्यादि का कार्य, कार्य दिवस में प्रातः 09.00 बजे से 4.00 बजे के बीच ही करना होगा।
14. सम्बन्धित वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी को उपज के आंकड़े लेने के लिए मटर की फलियाँ तोड़ने का अधिकार होगा, जो तोल करने के उपरान्त ठेकेदार को वापिस कर दी जायेगी।
15. सफल बोलीदाता के स्वयं, उनके कर्मचारियों तथा फसल को बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई में होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
16. सफल बोलीदाता द्वारा फसल की तुड़ाई के दौरान उनको या उनके कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान इत्यादि होता है तो उसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
17. बिना कोई कारण बताये इस ठेके से सम्बन्धित प्राप्त बोलियों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त किये जाने के पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होंगे।
18. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी तथा इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।
19. इस ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय होगा।
20. उपर्युक्त नीलामी ठेके से संबंधित सभी अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेंगे और किसी एक अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

अतः नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं


 प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक
 अनुसंधान प्रक्षेत्र सेलाकुई